



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2019 ई0
श्रावण 03, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 192/XXXVI(3)/2019/37(1)/2019
देहरादून, 25 जुलाई, 2019

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2019’ पर दिनांक 24.07.2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 10, वर्ष- 2019 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10, वर्ष, 2019)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्रवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| धारा 2 का संशोधन | 2. | उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में —
(क) खण्ड (27) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् —
“(27) “राज्य निर्वाचन आयुक्त” से राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्यपाल द्वारा इस रूप में पदामिहित किया गया हो।”
(ख) खण्ड (48) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् —
(49) “नगर प्रमुख” से नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत का अध्यक्ष, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका का अध्यक्ष तथा नगर निगम क्षेत्र की दशा में नगर निगम का मेयर अभिप्रेत है;
(50) “उप नगर प्रमुख” से नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत का उपाध्यक्ष, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका का उपाध्यक्ष तथा नगर निगम क्षेत्र की दशा में नगर निगम का डिप्टी मेयर अभिप्रेत है; |
| धारा 4 का संशोधन | 3. | मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1—(1) के हिन्दी पाठ के तीसरे परन्तुक में “परिहार्य” शब्द के स्थान पर “अपरिहार्य” शब्द रख दिया जाएगा। |
| धारा 8 का संशोधन | 4. | मूल अधिनियम की धारा 8 में,—
(क) उपधारा (1) के खण्ड (त) के पश्चात् खण्ड (थ),(द),(ध),(न) तथा (प) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्—
(थ) वह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो : |

परन्तु सामान्य श्रेणी महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण न हो:

- (द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है।
- (ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।
- (न) उसने सरकारी धन का गबन किया हो या उसके विरुद्ध सरकारी धन की वसूली चल रही हो या उस पर शासकीय धन का बकाया हो।
- (प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8क, धारा 9, धारा 9क एवं धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।
- (ख) उपधारा (4) का खण्ड (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—
- (4)(क) यदि किसी सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सम्पूर्ण वार्ड किसी नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य/प्रधान/उप-प्रधान ऐसे पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो।
- (ग) उपधारा (4) के खण्ड (ख) के हिन्दी पाठ में "उपधारा (3) के खण्ड (क) अधीन" शब्दों, कोष्ठक व अंक के स्थान पर "खण्ड (क) के अधीन" शब्द, कोष्ठक व अंक रखे जायेंगे।
- (घ) उपधारा (4) के अंग्रेजी पाठ में खण्ड (1) तथा (2) के स्थान पर क्रमशः खण्ड (a) तथा (b) प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।
- (ङ) उपधारा (7) के पश्चात् उपधारा (8) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
- “(8) एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेत्तर रोक— (1) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—
- (क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या
- (ख) किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य है, या
- (ग) किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या
- (घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या
- (ङ) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या

सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या

(च) किसी छावनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।

(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रधान, उप प्रधान या सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति मानी जायेगी।”

धारा 9 का
संशोधन

5.

प्रत्येक
प्रादेशिक
निर्वाचन
क्षेत्र
के
लिए
निर्वाचक
नामावली

मूल अधिनियम की धारा 9 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

9. “(1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी।

(क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार जनपद में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(ख) निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी, जैसे नियत की जाय।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रीति से निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

(3) उपधारा (4),(5),(6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 (अट्ठारह) वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा;

स्पष्टीकरण—

(i) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण से कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है यह नहीं समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का

निवासी है।

- (ii) अपने साधारणतया (मामूली तौर से) निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह नहीं समझा जाएगा कि वह वहाँ का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी नहीं रहा।
- (iii) संसद या राज्य के विधान मण्डल के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जाएगा।
- (iv) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।
- (v) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति, साधारणतया (मामूली तौर से) कहाँ का निवासी है, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।
- (4) कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—
- (क) भारत का नागरिक नहीं है, या
- (ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, अथवा
- (ग) निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह है।
- (5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाए, उसका नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से तत्काल हटा दिया जाएगा जिसमें वह अंकित है:
- परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायेगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।
- (6) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार

रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा।

- (7) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या छावनी परिषद से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो और जब तक कि वह यह प्रदर्शित नहीं करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया है।
- (8) जहाँ राज्य निर्वाचन आयोग को दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या परिवर्द्धित या निष्कासित की जानी चाहिए अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ा जायेगा जो रजिस्ट्रीकरण का हकदार हो, वहाँ वह इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा:

परन्तु यह कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने से पूर्व, नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

- (9) राज्य निर्वाचन आयोग, यदि सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकेगा,

परन्तु यह की अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निर्देश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि उस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूर्ण न हो जाए।

- (10) जहाँ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्—

- (क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने की तारीख और उसके प्रवर्तन की अवधि:
- (ख) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर किसी

वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि:

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि:

(घ) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना—

(i) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो, या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में त्रुटि से सम्मिलित किया गया हो, या

(ii) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो:—

(ड) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण:

(च) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन-पत्र पर देय फीस:

(छ) निर्वाचक नामावलियाँ तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय:

(11) उपर्युक्त उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों हेतु, तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकेगा, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो:

परन्तु यह कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन के अन्तिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता नहीं होगी—

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं: या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन की गई किसी

कार्रवाही या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।

(13) मत देने इत्यादि का अधिकार—इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, उस ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

धारा 10-क,
10-ख एवं 10-ग
का अंतःस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 10-क, 10-ख एवं 10-ग अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

“ प्रधान के पद
पर आरक्षण

10-क. “(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर सकेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधान के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है :

परन्तु यह कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रधान के पदों की कुल संख्या के 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्वून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रधान के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्वून पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(4) इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियत हो, आवंटित किये जायेंगे।

(5) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधान के पद पर आरक्षण “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।”

प्रधान का
निर्वाचन

10-ख. "(1) ग्राम पंचायत का प्रधान, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित किया जायेगा।

(2) यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में, प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, या तो-

(i) प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या

(ii) प्रशासक नियुक्त कर सकता है।

(3) प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि वह राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गये व्यक्ति, यदि कोई हो, ऐसे प्रधान या यथास्थिति सदस्य नहीं रह जायेंगे और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किये जायेगा।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रशासनिक समिति या प्रशासक सम्यक् रूप में संघटित ग्राम पंचायत समझी जायेगी :

परन्तु यह कि उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी समय राज्य सरकार का वह समाधान हो जाय कि ग्राम पंचायत के सम्यक् रूप से संघटित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि, जिस अवधि के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था समाप्त नहीं हुई है, राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत संघटित करने के लिये निर्वाचन कराने का निर्देश दे सकती है।

(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

उप प्रधान का
निर्वाचन और
उसका
कार्यकाल

10-ग. "(1) उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति में निर्वाचित किया जाएगा जो नियत की जाय :

परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उसके अधीन नियत समय के भीतर उप प्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे तो नियत अधिकारी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को उप प्रधान के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ समझा जाएगा।

(2) उप प्रधान का कार्यकाल, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या

नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

(3) उप प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में धारा 18 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

धारा 13 का संशोधन 7.

मूल अधिनियम की धारा 13 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

“13. किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.वी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा:

परन्तु यह कि पंचायतों को इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नहीं किया जाएगा।”

धारा 23 का संशोधन 8.

मूल अधिनियम की धारा 23 के खण्ड (सत्ताईस) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(सत्ताईस) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है ;

(क) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना ;

(ख) विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना।”

धारा 32-क का अंतःस्थापन 9.

मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

उप प्रधान के कर्तव्य 32क (1) उप प्रधान, प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान के समस्त कार्यों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(2) उप प्रधान, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में, जिस समिति का पदेन सभापति होगा, उनकी अध्यक्षता करेगा तथा सम्बन्धित समिति के कार्यों का अनुश्रवण करते हुये विवरण ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

(3) उप प्रधान अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रतिनिहित अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) उप प्रधान, प्रधान को ग्राम पंचायत के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में सहयोग करेगा।”

धारा 53 का संशोधन 10.

मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (त) के पश्चात् खण्ड (थ)(द),(ध),(न) तथा (प) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्—

(थ) वह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष

परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो:

परन्तु यह कि सामान्य श्रेणी महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं कक्षा उत्तीर्ण न हो:

(द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है।

(ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।

(न) उसने सरकारी धन का गबन किया गया हो या सरकारी धन की वसूली चल रही हो या शासकीय धन का बकाया हो।

(प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8क, धारा 9, धारा 9क एवं धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।

(ख) उपधारा (4) का खण्ड (एक) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“(4)(एक) क्षेत्र पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा उसका सम्पूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो।”

(ग) उपधारा (6) के पश्चात उपधारा (7) निम्नवत अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

“(7) एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेत्तर रोक— (1) कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या

(ख) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान या सदस्य है, या

(ग) किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या

(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या

(ड.) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या

(च) किसी छावनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।

(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में

उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति मानी जायेगी।”

धारा 54 का
संशोधन

11.

मूल अधिनियम की धारा 54 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—
“54. (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी।
(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अधीन तैयार की गयी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी क्षेत्र पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली को पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा:

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

(3) अधिनियम की विभिन्न धाराओं द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो उस क्षेत्र पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

धारा 55-क का
अंतःस्थापन

12.

क्षेत्र पंचायत के
प्रमुख के पद
पर आरक्षण

मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

55-क. (1) क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये जा सकेंगे:

परन्तु यह कि प्रमुख के आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या

का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे, क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे:

परन्तु यह और कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य में प्रमुख के पदों की कुल संख्या के 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के आधे से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(3) उपधारा (2) के अध्याधीन प्रमुख के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए प्रमुख के पद पर आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।"

धारा 58 का संशोधन 13.

मूल अधिनियम की धारा 58 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—
58. "क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.वी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा:

परन्तु यह कि पंचायतें इस धारा में उल्लिखित पदधारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नहीं किया जायेगा।"

धारा 62 का संशोधन 14.

मूल अधिनियम की धारा 62 के हिन्दी पाठ में 'प्रधान' शब्द के स्थान पर 'प्रमुख' शब्द रख दिया जायेगा।

धारा 66 का संशोधन 15.

मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (5) में 'निर्वाचित सदस्यों' शब्दों के स्थान पर 'सदस्यों' शब्द रख दिया जायेगा।

धारा 90 का संशोधन 16.

मूल अधिनियम की धारा 90 में,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (त) के पश्चात् उपधारा (थ),(द),(ध),(न) तथा (प) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्—

(थ) वह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो:

परन्तु यह कि सामान्य श्रेणी की महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं उत्तीर्ण न हो:

- (द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है।
- (ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।
- (न) उसने सरकारी धन का गबन किया हो या उसके विरुद्ध सरकारी धन की वसूली चल रही हो या उस पर शासकीय धन का बकाया हो।
- (प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8क, धारा 9, धारा 9क एवं धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।
- (ख) उपधारा (4) का खण्ड (क) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“(4)(क) जिला पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा सम्पूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो।”

- (ग) उपधारा 4 के अंग्रेजी पाठ में खण्ड (1) तथा (2) के स्थान पर क्रमशः खण्ड (a) तथा (b) प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।
- (घ) उपधारा 4 के अंग्रेजी पाठ के खण्ड (b) में “(1)” के स्थान पर (a) रखा जायेगा।
- (ङ) उपधारा (6) के पश्चात उपधारा (7) निम्नवत अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

“(7) एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेत्तर रोक— (1) कोई व्यक्ति जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

- (क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या
- (ख) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान या सदस्य है, या
- (ग) किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य है, या
- (घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या
- (ङ) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या
- (च) किसी छावनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।
- (2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में

धारा 91 का संशोधन

17. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जिला पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली

उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति मानी जायेगी।”

मूल अधिनियम की धारा 91 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

“91. (1) प्रत्येक जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी।

(2) जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली, क्षेत्र पंचायत या क्षेत्रों पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा:

परन्तु यह कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

(3) अधिनियम की विभिन्न धाराओं द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी (जिला पंचायत के किसी) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, (उस जिला पंचायत) में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

धारा 92-क का अंतःस्थापन

18. जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद पर आरक्षण

मूल अधिनियम की धारा 92 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

92-क “(1) राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये जा सकेंगे:

परन्तु यह कि अध्यक्ष के आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से, यथाशक्य, वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद

भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे:

परन्तु यह और कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- (2) उप धारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के आधे से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (3) उपधारा (2) के अध्याधीन अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे।
- (4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए अध्यक्ष के पद का आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।"

धारा 95 का संशोधन 19.

मूल अधिनियम की धारा 95 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

"95. जिला पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.वी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा:

परन्तु यह कि पंचायत को इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नहीं किया जायेगा।"

धारा 130 का संशोधन 20.

मूल अधिनियम की धारा 130 की उपधारा (5) के हिन्दी पाठ में "विघटित" शब्द के स्थान पर "संगठित" शब्द रख दिया जायेगा।

धारा 131 का संशोधन 21.

मूल अधिनियम की धारा 131 में—

(क) उपधारा (4) (ख) (1) में "जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट या राज्य निर्वाचन आयोग" शब्द रख दिए जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) (ख) (1) के खण्ड (दो) में "को मत पेटियों" शब्दों के स्थान पर "मतदान स्थल को निर्वाचन सामग्री" शब्द रखे जायेंगे।

(ग) उपधारा 4 (ट) (1) में "धारा 125," शब्द व अंक के पश्चात "125 क," शब्द व अंक रख दिये जायेंगे।

धारा 138 का संशोधन 22.

मूल अधिनियम की धारा 138 में:-

- (क) उपधारा (1) में "सदस्य" शब्द के स्थान पर "पदाधिकारी" शब्द रख दिया जायेगा।
- (ख) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात नये उपखण्ड (घ) एवं (ङ.) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्-
- "(घ) ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या उसके किसी सदस्य या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को अथवा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप प्रमुख या किसी सदस्य अथवा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उसके किसी सदस्य को उसके पद से निम्नलिखित दशाओं में भी हटाया जा सकेगा-
- (i) यदि वह बिना पर्याप्त कारण के लगातार तीन से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थित रहे या कार्य करने से इंकार करे, या
- (ii) यदि उसने किसी ऐसे मिथ्या घोषणा-पत्र, जिसे उसके द्वारा वह अभिव्यक्त करते हुये कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, हस्ताक्षरित किया गया हो, के आधार पर यथास्थिति धारा 10-क की उपधारा (1) अथवा धारा 11 की उपधारा (1) अथवा धारा 55-क की उपधारा (1) अथवा धारा 56 अथवा धारा 92-क की उपधारा (1) अथवा धारा 93 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो, या
- (iii) यदि उसमें धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (प) तक, धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (प) तक तथा धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (प) तक में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता हो।
- (ङ.) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।"
- (ग) उपधारा (2) में "धारा 29" शब्द व अंकों के स्थान पर "धारा 138" शब्द व अंक रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016" (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) अधिनियमित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मूल अधिनियम में ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद पर आरक्षण की व्यवस्था किये जाने, किसी पदधारी द्वारा एक साथ दो पद धारण करने को वर्जित किये जाने एवं निर्वाचन प्रक्रिया को स्पष्ट किये जाने तथा निर्वाचन हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने व परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार को पंचायत निर्वाचन से अनर्ह किए जाने के साथ-साथ मूल अधिनियम की कतिपय त्रुटियों को भी दूर करने के लिए संशोधन किया जाना अपरिहार्य है।

2- अतः मूल अधिनियम की धाराओं 2, 4, 8, 9, 10-क, 10-ख, 10-ग, 13, 23, 32-क, 53, 54, 55-क, 58, 62, 66, 90, 91, 92-क, 95, 130, 131 और 138 को संशोधित/प्रतिस्थापित करते हुए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु मूल अधिनियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

3- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(अरविंद पाण्डे)
मंत्री

No. 192/XXXVI(3)/2019/37(1)/2019

Dated Dehradun, July 25, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2019' (Act No. 10 of 2019).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 24 July, 2019.

THE UTTARAKHAND PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2019

(Uttarakhand Act No. 10 of 2019)

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016,

IT IS HEREBY Enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the *Seventieth* year of the Republic of India as follows:-

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| Short Title and Commencement | 1. | (1) This Act may be called the Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2019.
(2) It shall come into force at once. |
| Amendment of Section 2 | 2. | In the Section 2 of Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 (hereinafter referred to as the Principal Act),-
(a) clause (27) shall be substituted as follows, namely-
“(27) State Election Commissioner” means an officer of the State Government designated as such by the Governor;”
(b) after clause (48), the following clauses shall be inserted, namely -
(49) “Nagar pramukh” means chairman in case of nagar panchayat in nagar panchayat area, chairman of municipality in municipality area and mayor of municipal corporation in municipal corporation area. |

- (50) "up-nagar pramukh" means vice-chairman in case of nagar panchayat in nagar panchayat area, vice-chairman of municipality in municipality area and deputy-mayor of municipal corporation in municipal corporation area.
- Amendment of Section 4** 3. In the Hindi version of third proviso of sub section 1-(1) of section 4 of the Principal Act, for the word "परिहार्य", the word "अपरिहार्य" shall be substituted.
- Amendment of Section 8** 4. In section 8 of the Principal Act-
- (a) After Clause (p) of Sub-section (1), the Clauses (q),(r),(s),(t) and (u) shall be inserted as follows, namely-
- (q) He has not passed High School or equivalent examination from any recognized institution/ Board:
- Provided that in the matter of candidate of General Category women and Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidate has not passed minimum Middle/Eight examination:
- (r) He has more than two living children.
- (s) He has unauthorised possession on any Governmental / Panchayatiraj Department land.
- (t) He has embezzled Government money or recovery of government money is against him or is owed of government money.
- (u) He comes under the provisions of Section 8, Section 8A, Section 9, Section 9A and Section 10 of the Representation of the People Act, 1951.
- (b) Clause (a) of Sub-section (4) shall be substituted as follows, namely-
- "(4)(a)- A member of Gram Panchayat shall cease to be such member/pradhan/up-pradhan if the entry relating to the member is removed from the electoral roll of the territorial constituency of Gram Panchayat or the whole ward of its territorial constituency has been included in any municipal body even though the entry of related member is recorded in any other electoral roll.
- (c) In the Hindi version of clause (b) of sub section (4), for the words, brackets and figures "उप धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन", the words, brackets and figures "खण्ड (क) के अधीन" shall be substituted.
- (d) In the English version of sub-section (4), for the clause (1) and (2), the clause (a) and (b) shall be substituted.

- (e) Sub section (8) after sub section (7) shall be inserted as follows, namely-

“(8) Further bar on holding two offices simultaneously-

- (1) A person shall be disqualified for holding the office of Pradhan, Up-pradhan or member of the Gram Panchayat, If he is-
- (a) Member of the Parliament or State Legislature; or
 - (b) The Pramukh, senior Up-pramukh, junior Up-Pramukh or member of any Kshetra Panchayat; or
 - (c) The Chairman, Vice-Chairman or Member of any Zila Panchayat; or
 - (d) The Chairman, Vice-chairman or member of any co-operative society; or
 - (e) The Nagar Pramukh, Up-Nagar Pramukh, member, Chairman, Vice-Chairman or member of Urban Local Bodies; or
 - (f) The Chairman, Vice-Chairman or member of cantonment board.
- (2) A person, shall cease to hold the office of Pradhan, Up-Pradhan or member of the Gram Panchayat, as the case may be if subsequently he is elected to any of the offices mentioned in clauses (a) to (f) of sub-section (1) with effect from the date of such subsequent election and thereafter the post of Pradhan, Up-Pradhan or member, as the case may be, shall be deemed casual vacancy.”

Amendment of section 9

Electoral roll for each territorial constituency

5. In the Principal Act Section 9 shall be substituted as follows, namely-

(1) For each territorial constituency of Gram Panchayat, an electoral roll shall be prepared, in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder/under the superintendence, direction and control of the State Election Commission.

(a) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the District Election Officer (Panchayat) shall supervise and perform all functions relating to the preparation, revision and correction of the electoral rolls in the district in accordance with this Act and the rules made thereunder.

(b) The preparation, revision and correction of the electoral rolls shall be done by such persons, and in such manner, as may be prescribed;

(2) The electoral roll referred to in sub-section (1) clause (b) shall be published in the prescribed manner and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made in accordance with this Act and the rules made thereunder be the electoral roll for that territorial constituency.

(3) Subject to the provisions of sub-section (4), (5), (6) and (7) every person who has attained the age of 18 years on the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared or revised and who is ordinary resident in the territorial constituency of a Gram Panchayat shall be entitled to be registered in the electoral roll for that territorial constituency.

Explanation –

(i) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in the territorial constituency on the ground only that he owns, or is in possession of, a dwelling house in that territorial constituency.

(ii) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof shall be deemed to cease to be ordinarily resident therein,

(iii) A member of Parliament or of the Legislature of the State shall not, during the term of his office, cease to be ordinarily resident in the territorial constituency merely be reason of his absence from that area in connection with his duties as such member.

(iv) For determining that which persons may not be deemed to the ordinarily residents of any particular area at any relevant time, any other facts which may be prescribed, shall be considered.

(v) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case.

(4) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll, if he –

(a) is not a citizen of India; or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) is for the time being disqualified from voting under provisions of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with elections.

(5) The name of any person who becomes disqualified under sub-section (4) after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included;

Provided that the name of any person which is struck off from the electoral roll by reason of any such disqualification shall forthwith be reinstated in that roll, if such disqualification is,

during the period such roll is in force, removed under any law authorizing such removal.

(6) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one territorial constituency or more than once in the electoral roll for the same territorial constituency.

(7) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any territorial constituency if his name is entered in any electoral roll pertaining to any, municipal corporation, municipality, Nagar Panchayat or cantonment unless he shows that his name has been struck off from such electoral roll.

(8) Where the State Election Commission is satisfied after making such inquiry as it may deem fit, whether on an application made to it or suo moto, that any entry in the electoral roll should be corrected or deleted or that the name of any person entitled to be registered should be added in the electoral roll, it shall subject to the provisions of this Act and rules and orders made thereunder, correct, delete or add the entry, as the case may be :

Provided that no such correction, deletion or addition shall be made after the last date for making nominations for any election in the Gram Panchayat and before the completion of that election;

Provided further that no deletion or correction of any entry in respect of any person affecting his interest adversely shall be made without giving him reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

(9) The State Election Commission may, if it thinks necessary so to do for the purposes of a general or by election, direct a special revision of the electoral roll for any territorial constituency of a Gram Panchayat in such manner as it may think fit:

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for territorial constituency, as in force at the time of issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.

(10) As so far as provision not made by this Act or the rules, the State Election Commission may, by order, may make provisions in respect of the following matters concerning the electoral roll, namely,-

(a) the date on which the electoral roll prepared under this Act shall come into force and its period of operation;

(b) the correction of any existing entry in the electoral roll on the application the elector concerned;

(c) the correction of clerical or printing errors in electoral

roll;

(d) the inclusion of the name of such person in the electoral roll –

(i) whose name is included in the Assembly electoral roll for the area related to the territorial constituency but not included in the electoral roll for territorial constituency or whose name has been wrongly included in the electoral roll of other territorial constituency, or

(ii) whose name is not so included in the Assembly electoral roll but who is otherwise eligible to be registered in the electoral roll for the territorial constituency;

(e) the custody and preservation of the electoral roll;

(f) fees payable on application for inclusion or exclusion of names;

(g) all matters generally relating to the preparation and publication of the electoral roll.

(11) Notwithstanding anything contained in the foregoing subsection the State Election Commission may, for the purposes of preparation of the electoral roll for a territorial constituency adopt the electoral roll for the Assembly constituency prepared under Representation of the People Act, 1950 for the time being in force so far as it relates to the area of that territorial constituency;

Provided that, no amendment, alteration or correction in the electoral roll for such territorial constituency shall be included after the last date of nomination in such constituency and before the completion of that election.

(12) No Civil Court shall have jurisdiction –

(a) to entertain or adjudicate upon the question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a territorial constituency; or

(b) to question the legality of any action taken by or under the authority of the State Election Commission or of any decision given by any Authority or Officer appointed in this behalf in respect of preparation and publication of electoral rolls.

(13) **Right to vote etc.** – Save as otherwise provided by or under this Act, every person whose name is for the time being included in the electoral roll for a territorial consistency of a Gram Panchayat shall be entitled to vote at any election and be eligible for election, nomination or appointment to any office in that

Gram Panchayat:

Provided that a person who has not completed the age of twenty-one years shall not be eligible to be elected as a member or office-bearer of the Gram Panchayat."

Insertion of
Section 10-A,
10-B and 10-C

6. After Section 10 of the Principal Act, a following section **10-A, 10-B and 10-C** shall be inserted, namely-

Reservation for
the post of
Pradhan

10-A. "(1) The State Government may, by order, reserve the seat of Pradhan for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. The number of seats of Pradhan so reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes shall as nearly as may be, bear the same proportion to the total number of such seats as the population of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Backward Classes of the State bears to the total population of the State:

Provided that reservation for the Backward Classes shall not exceed 14 percent of total number of the seat of Pradhan.

(2) Not less than one half of the total number of reserved seats of Pradhan under sub section (1) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(3) Not less than one half seat of total number of seats of Pradhan, under sub-section (2) shall be reserved for women.

(4) The seats reserved for Pradhan under this Section shall be allotted in different Gram Panchayat by rotation in such order, as may be prescribed.

(5) The reservation for seats of the Pradhan for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Section shall not be effective at the end of the period specified in Article 334 of the Constitution of India.

Election of
Pradhan

10-B. "(1) The Pradhan of the Gram Panchayat shall be elected by the persons registered in the electoral rolls for the territorial constituencies of the Panchayat area from amongst themselves.

(2) If at any general election of a Gram Panchayat, the Pradhan is not elected, and less than two-thirds of the total number of members of Gram Panchayat are elected, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, either appoint -

- (i) an Administrative Committee consisting of such

number of persons qualified to be elected as members of the Gram Panchayat, as it may consider proper; or

(ii) an Administrator.

(3) The members of the Administrative Committee or the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as the State Government may specify in the order referred to in sub-section (2).

(4) On the appointment of an Administrative Committee or Administrator under sub-section (2), the person, if any, chosen as Pradhan or member of the Gram Panchayat before such appointment shall cease to be such Pradhan or member, as the case may be, and all powers, functions and duties of the Gram Panchayat, its Pradhan and Committees shall vest in and be exercised, performed and discharged by such Administrative Committee or the Administrator, as the case may be.

(5) The Administrative Committee or the Administrator shall be deemed to be duly constituted Gram Panchayat for the purposes of this Act :

Provided that if at any time after the appointment of the Administrative Committee or the Administrator under sub-section (2) the State Government is satisfied that there is no difficulty in duly constituting the Gram Panchayat, the State Government may, notwithstanding that the period for which the Administrative Committee or the Administrator had been appointed has not expired, direct the State Election Commission for holding the elections for constituting the Gram Panchayat.

(6) Save as otherwise provide in this Act, the term of office of Pradhan shall expire with the term of the Gram Panchayat.

Election of Up-Pradhan and his term

10-C. "The Up-Pradhan, shall be elected by the members of the Gram panchayat from amongst themselves in such manner as may be prescribed:

Provided that if a Gram panchayat fails to so elect the Up-Pradhan within the time fixed by or under the rules in that behalf, the Prescribed Authority may nominate as Up-Pradhan any member; of the Gram Panchayat, and the person so nominated shall be deemed to have been duly elected.

(2) The term of office of the Up-Pradhan shall commence from the date of his election or nomination, as the case may be, and unless otherwise determined under the provisions of the Act, shall expire with the term of the Gram

Panchayat.

(3) The Provision of Section 18 shall Mutatis Mutandis apply to the removal of Up-Pradhan as they apply to the removal of Pradhan.

Amendment of Section 13

7. In the Principal Act, section 13 shall be substituted as follows, namely-

“13. The election for the post of Pradhan, *Up-Pradhan* and Member of any Gram Panchayat shall be made by Ballot Paper or EVM through the secret ballot procedure;

Provided that there shall be no bar on the Panchayat to elect unopposed the office holders mentioned in this Section.”

Amendment of Section 23

8. In the Principal Act clause (xxvii) of Section 23 shall be substituted as follows, namely-

“(xxvii) Social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded:

(a) Assisting in old-age and widow pension schemes;

(b) Participation in the social welfare programmes including welfare of the handicapped and the mentally retarded.”

Insertion of Section 32-A

9. After section 32 of the Principal Act, following Section shall be inserted, namely-

“Duties of Up-Pradhan

“32-A (1) The Up-Pradhan shall discharge all functions duties and responsibilities in absence of the Pradhan.

(2) The Up-Pradhan shall preside the standing committees, of which he is Ex Officio Chairman and shall submit the details to the Gram Panchayat by hearing the functions of the concerned committee.

(3) The Up-Pradhan shall discharge the delegated powers and duties under section 31 of the Act.

(4) The Up-Pradhan shall assist the Pradhan in the discharge of functions and liabilities of the Gram Panchayat.”

Amendment of Section 53

10. In Section 53 of Principal Act -

(a) After Clause (p) of Sub-section (1), the Clauses (q),(r),(s),(t) and (u) shall be inserted as follows, namely-

(q) He has not passed High School or equivalent examination from any recognized institution/ Board:

Provided that in the matter of candidate of General Category women and Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidate has not passed minimum Middle/Eight examination;

- (r) He has more than two living children.
- (s) He has unauthorised possession on any Governmental / Panchayatiraj Department land.
- (t) He has embezzled Government money or recovery of government money is against him or is owed of government money.
- (u) He comes under the provisions of Section 8, Section 8A, Section 9, Section 9A and Section 10 of the Representation of the People Act, 1951.

(b) Clause (i) of Sub-section (4) shall be substituted as follows, namely-

“(4)(i)- A member of Kshetra Panchayat shall cease to be such member if the entry relating to the member is removed from the electoral roll of the territorial constituency of Kshetra Panchayat or the whole ward of its territorial constituency has been included in any municipal body even though the entry of related member is recorded in any other electoral roll.

(c) After sub-section (6) of section 53, a new sub-section (7) shall be inserted as follows, namely.

“(7) **Further bar on holding two office simultaneously-**

- (1) A person shall be disqualified for holding the office of The Pramukh, senior Up-pramukh, junior Up-Pramukh or member of the Kshetra Panchayat, if he is-
 - (a) Member of the Parliament or State Legislature; or
 - (b) Pradhan, Up-Pradhan or Member, of any Gram Panchayat, or
 - (c) The Chairman, Vice chairman or Member of any Zila Panchayat, or

- (d) The Chairman, Vice-chairman or member of any co-operative society, or
- (e) The Nagar Pramukh, Up-nagar Pramukh, member, Chairman, Vice-Chairman or member of Urban Local Bodies, or
- (f) The Chairman, Vice-Chairman or member of cantonment board.

(2) A person, shall cease to hold the office of Pramukh, senior up-pramukh, junior up-pramukh or member of the Kshetra Panchayat, as the case of may be if subsequently he is elected to any of the offices mentioned in clauses (a) to (f) of sub-section (1) with effect from the date of such subsequent election and thereafter, may be the post of Pramukh, Up-pramukh or member, as the case may be, shall be deemed casual vacancy.”

Amendment of section 54

Electoral rolls for each territorial constituency of Kshetra Panchayat

11. In the Principal Act Section 54 shall be substituted as follows, namely-

54. “(1) There shall be an electoral roll for each territorial constituency of a Kshetra Panchayat.

(2) The electoral roll for the territorial constituency of a Kshetra Panchayat shall consist of the electoral rolls prepared under Section 9 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 for all territorial constituencies of a Gram Panchayat or Gram Panchayats comprised within the territorial constituency of the Kshetra Panchayat and it shall not be necessary to prepare or revise separately the electoral roll for any such territorial constituency of a Kshetra Panchayat;

Provided that any correction, deletion or addition made in the electoral roll after the last date for making nominations for any election to the Kshetra Panchayat and before the completion of that election shall not be taken into consideration for the purposes of that election.

(3) Save as otherwise provided by or under the various sections of this Act, every person whose name is, for the time being, included in the electoral roll for the territorial constituency of a Kshetra Panchayat shall be entitled to vote at any election thereto and be eligible for election to the membership or of any office in the Kshetra Panchayat;

Provided that a person who has not completed the age of

**Insertion of
Section 55-A**

*Reservation for
the post of
Pramukh of the
Kshettra
Panchayat*

twenty-one years shall not be qualified to be elected as member or office bearer of the Kshettra Panchayat.”

12. After section 55 of the Principal Act following Section shall be inserted, namely-

“55-A- (1) In Kshettra Panchayats, seats of Pramukh may be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes;

Provided that the total number of seats of Pramukh so reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes shall as nearly as may be, bear the same proportion to the total number of such seat as the population of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Backward Classes of the State bears to the total population of the State and such reserved seats may be allotted by rotation to different Kshettra Panchayats in such order as may be prescribed :

Provided further that reservation for Backward Classes shall not exceed 14 percent of total number of the seat of Pramukh.

(2) Not less than one half of the total number of reserved seats under sub section (1) shall be reserved for the women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(3) Not less than one half seat of total number of seats of Pramukh, under sub-section (2) shall be reserved for women and such seats may be allotted in different Kshettra Panchayats by rotation in such order as may be prescribed.

(4) Reservation for seats of the Pramukh under this Section for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall not be effective at the end of the period specified in article 334 of the Constitution of India.”

**Amendment of
Section 58**

13. In the Principal Act, Section 58 shall be substituted as follows, namely-

“58. The election for the post of Member of Kshettra Panchayat shall be made by Ballot Paper or EVM through the secret ballot procedure:

Provided that there shall be no bar on Panchayat to elect unopposed the office holders mentioned in this Section.”

- Amendment of Section 62** 14. In the Hindi version of Section 62 of the Principal Act, for the word "प्रधान", the word "प्रमुख" shall be substituted.
- Amendment of Section 66** 15. In sub-section (5) of Section 66 of the Principal Act, for the words "Elected members", the word "Members" shall be substituted.
- Amendment of Section 90** 16. In Section 90 of Principal Act -
- (a) After Clause (p) of sub-section (1), the clauses (q),(r),(s),(t) and (u) shall be inserted as follows, namely-
- (q) He has not passed High School or equivalent examination from any recognized institution/ Board:
- Provided that in the matter of candidate of General Category women and Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidate has not passed minimum Middle/Eight examination;
- (r) He has more than two living children.
- (s) He has unauthorised possession on any Governmental / Panchayatiraj Department land.
- (t) He has embezzled Government money or recovery of government money is against him or is owed of government money.
- (u) He comes under the provisions of Section 8, Section 8A, Section 9, Section 9A and Section 10 of the Representation of the People Act, 1951.
- (b) Clause (a) of sub-section (4) shall be substituted as follows, namely-
- “(4)(a)- A member of Zila Panchayat shall cease to be such member if the entry relating to the member is removed from the electoral roll of the territorial constituency of Zila Panchayat or the whole ward of its territorial constituency has been included in any municipal body even though the entry of related member is recorded in any other electoral roll.

- (c) In the English version of sub-section (4), for the clause (1) and (2), the clause (a) and (b) shall be substituted.
- (d) In the English version of sub-section (4), for the sub-clause "(i)" of clause (b), the sub-clause (a) shall be substituted.
- (e) After sub-section(6), a new sub-section (7) shall be inserted as follows, namely-

"7. Further bar on holding two office simultaneously-

- (1) A person shall be disqualified for holding the office of Chairman, Vice-Chairman or member of the Zila Panchayat, if he is-
- (a) Member of the Parliament or State Legislature; or
- (b) Pradhan, Up-pradhan or Member of Gram Panchayat, or
- (c) The Chairman, Vice-Chairman or Member of any Kshetra Panchayat, or
- (d) The Chairman, Vice-chairman or member of any co-operative society.
- (e) The Nagar Pramukh, Up-nagar Pramukh, member, Chairman, Vice-Chairman or member of Urban Local Bodies, or
- (f) The Chairman, Vice-Chairman or member of cantonment board.
- (2) A person, if shall cease to hold the office of Chairman, Vice-Chairman, or member of the Zila Panchayat, as the case of may be if subsequently he is elected to any of the offices mentioned in clauses (a) to (f) of sub-section (1) with effect from the date of such subsequent election and thereafter, may be the post of such Chairman, Vice-Chairman or member, as the case may be, shall be deemed casual vacancy."

Amendment of
Section 91

*Electoral roll
for each
territorial
constituency of
Zila Panchayat*

17. In the Principal Act Section 91 shall be substituted as follows, namely-

"(1) There shall be an electoral roll for each territorial constituency of Zila Panchayat.

(2) The electoral roll for the territorial constituency of a Zila Panchayat shall consist of the electoral rolls for all such territorial constituencies

of a Kshetra Panchayat or Kshetra Panchayats as are comprised within the territorial constituencies of Zila Panchayat and it shall not be necessary to prepare or revise separately the electoral roll for any such territorial constituency of Zila Panchayat.

Provided that any correction, addition or deletion made in the electoral roll after the last date for making nominations for elections to the Zila Panchayat and before the completion of that election shall not be taken into consideration for the purpose of that election.

(3) Save as otherwise provided by or under this Act, every person whose name is for the time being, included in the electoral roll for the territorial constituency of a Zila Panchayat shall be entitled to vote at any election thereto and be eligible for election to the membership or to any office in the Zila Panchayat:

Provided that a person who has not completed the age of twenty one year shall not be qualified to be elected as a member or office bearer of the Zila Panchayat

Insertion of
section 92-A

*Reservation for
the post of
Chairman of the
Zila Panchayat*

18. After Section 92 of the Principal Act, following Section shall be inserted, namely-

92-A- "(1) In Zila Panchayats, seats of chairman may be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes:

Provided that the number of seats of Chairman so reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes shall, as nearly as may be, bear the same proportion to the total number of seats as the population of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Backward Classes of the State bears to the total population of the State and such reserved seats may be allotted by rotation to different Zila Panchayats in such order as may be prescribed :

Provided further that the reservation for the Backward Classes shall not exceed fourteen per cent of the total number of seats of Chairman.

(2) Not less than one half of the total number of reserved seats under the sub section (1) shall be reserved for the women belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be.

(3) Not less than one half seat of total number of seats of Chairman, under sub-section (2), shall be reserved for women and such seats may be allotted in different Zila Panchayats by rotation

in such order, as may be prescribed.

(4) Reservation for seats of the Chairman for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this section shall not be effective at the end of the period specified in article 334 of the Constitution of India.”

Amendment of section 95

19. In the Principal Act, Section 95 shall be substituted as follows, namely-

“ 95. The election for the post of member of Zila Panchayat shall be made by Ballot Paper or EVM through the secret ballot procedure:

Provided that there shall be no bar on the Panchayats elect unopposed the office holders mentioned in this Section unopposed.”

Amendment of section 130

20. In the Hindi version of sub-section (5) of Section 130 of the Principal Act, for the word “विघटित” the word “संगठित” shall be substituted.

Amendment of section 131

21. In Section 131 of the Principal Act-

(a) In sub-section (4)(b)(1) for the words “District Magistrate State Election Commission”, the words “District Magistrate or State Election Commission” shall be substituted.

(b) In clause (ii) of sub section (4)(b) for the words “ballot boxes to” the words “Material of election to the polling place” shall be substituted.

(c) In sub section (4) (k) (1) after the word and number “section 125,” the word and number “125-A,” shall be inserted.

Amendment of Section 138

22. In Section 138 of the Principal Act-

(A) In sub-section (1), for the word “member” the words “office bearers” shall be substituted.

(B) After clause (c) of sub-section (1), new clauses (d) and (e) shall be inserted, namely-

“(d) The Pradhan, Up-Pradhan or member of a Gram Panchayat or any members of Joint Committee or Land Management Committee, or a Pramukh, Up pramukh or any member of Kshetra Panchayat or Chairman, Vice chairman or any member of Zila Panchayat may also be removed from his office in the following conditions-

(i) If he makes himself absent without sufficient cause

for more than three consecutive meetings or sittings or refuses to act; or

(ii) If he has taken the benefit of reservation under sub-section (1) of Section 10-A or sub-section (1) of Section 11, sub-section (1) of Section 55-A or Section 56 or sub-section (1) of Section 92-A or Section 93, as the case may be, on the basis of a false declaration subscribed by him stating that he is a member of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be; or

(iii) If he suffers from any of the disqualifications mentioned in clauses (a) to (u) of sub-section (1) of Section 8, clauses (a) to (u) of sub-section (1) of Section 53 and in clauses (a) to (u) of sub-section (1) of Section 90.

(e) No objection shall be made in any court on the order made by the State Government under this Section”

(C) In sub section (2), for the word and numbers “Section 29” the word and numbers “section 138” shall be substituted.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,
Secretary.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

“The Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 (Act No. 11 of 2016) is enacted by the Uttarakhand State Government. It is inevitable to amend the Principal Act in this perspective to make provision for reservation on the post of Pradhan of Gram Panchayat, Pramukh of Kshetra Panchayat and Chairman of Zila Panchayat, to prohibit holding of two office simultaneously and to determine the educational qualification for election and to make ineligible the contestant, having more than two living children from Panchayat election for the purpose of promoting family planning and to make clear the procedure of election as well as to rectify certain errors of the principal Act.

2- Therefore amendments in the in the Principal Act is proposed to make the provisions of Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat more firm amending/ substituting the Sections 2, 4, 8, 9, 10-A, 10-B, 10-C, 13, 23, 32-A, 53, 54, 55-A, 58, 62, 66, 90, 91, 92-A, 95, 130, 131 and 138 of the Principal Act.

3- The proposed Bill fulfills above objective.

(Arvind Pandey)
Minister.